This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 मार्च, 2011/9 चैत्र, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10*th March,* 2011

No.HHC/GAZ/14-268/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave w.e.f. 14.3.2011 to 26.3.2011 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 12th and 13th March, 2011 and to suffix Sunday falling on 27th March, 2011 in favour of Sh. Arvind Kumar, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jubbal District Shimla, H.P.

Certified that Sh. Arvind Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Arvind Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jubbal but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28th March, 2011

No. UD-C(9)-1/2007.—Vide this Department Notification of even number dated 10.3.2011, a 'Property Tax Board, Himachal Pradesh' was constituted as per recommendations of the 13th Finance Commission to "review the present property tax system of the municipalities of the State of Himachal Pradesh and to make suitable recommendations on Property Tax Mechanism. Now the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Work Plan including functions, activities & time-line" of the aforesaid 'Property Tax Board' as per Annexure-A.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (U.D.) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

H.P PROPERTY TAX BOARD FOR URBAN LOCAL BODIES

WORK PLAN

Functions	Activity	Timelines
1. Enumerate, or cause to enumerate, all properties in the municipal corporations and municipalities in the state and develop a data base;	1(a) One time enumeration of properties by all ULBs under the direction of the Board.	By 31.3.2012
	1(b) Regular updation of data annually there after.	Every year by 31st March.
2. Review the existing property tax system and suggest suitable basis for valuation of properties and design.	2&3. Prepare an appropriate proposal detailing current position of property tax assessment & levy suggest options for improvement making suggestions based such evaluation of alternatives.	By 31.3.2013

3. formulate transparent procedure for valuation of properties;		
4. The Board shall make suitable recommendation on Property Tax mechanism for at least 25% of the aggregate number of estimated properties across the municipal corporation and all municipalities in the State by 31st March, 2015.	4(a). The Board shall make suitable recommendation on Property Tax mechanism for at least 2% (or one town) of the aggregate number of estimated properties across all municipal corporation and municipalities in the State.	By 31.3.2013
	4(b). The Board shall make suitable recommendation on Property Tax mechanism for at least 8% (or five towns) of the aggregate number of estimated properties across all municipal corporation and municipalities in the State.	By 31.3.2014
	4(c) The Board shall make suitable recommendation on Property Tax mechanism for at least 15% (or seven towns) of the aggregate number of estimated properties across all municipal corporation and municipalities in the State.	Annually from 31.3.2015
5. Recommend tax rate for various Urban Local Bodies based on their requirement of fund for providing basic amenities to the citizens;	5&6. Consider & approve suitable proposals detailing background of current position & options.	
6. Recommend modalities for periodic revision;		
7. The Board may also discharge such other functions in the field of valuation including development of expertise in valuation of land and building; as the State Govt. may direct.	7. The Board shall specify these activities and timelines thereon on a need based regular progress assessment.	

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 18 मार्च, 2011

संख्याः गृह(ए)एफ(13)–5 / 2010.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यथा प्रशिक्षण केन्द्र सशस्त्र सीमा वल (एस.एस.बी.) शमशी फाटी शमशी कोठी खोखन जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के निर्माण हेतू भूमि अर्जित करनी

अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपवन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू–अर्जन समाहर्ता, उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव / मुहाल	खसरा नं0	क्षेत्र / रकवा बीघा	उद्देश्य
कुल्लू	कुल्लू	शमशी फाटी शमशी कोठी खोखन	1263	1–11–0	प्रशिक्षण केन्द्र सशस्त्र सीमा बल (एस. एसबी) के निर्माण के लिए ।
कुल किता = 01 कुल रकवा =1–11–0 बीघा					

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (गृह)।

———————

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 मार्च, 2011

संख्याः फिश–ए(3) 15 / 1999–II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या मत्स्य–ए(3)15 / 99, तारीख 26.10.2009 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग उप–निरीक्षक मत्स्य, वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, उप–निरीक्षक मत्स्य, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग उप–निरीक्षक मत्स्य, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" में :–

(क) स्तम्भ संख्या–4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान
पे बैंड 5910–20200 रूपए
ग्रेड पे 2400/– रूपए

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :–
8310/– रूपए (स्तंभ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार)"।

(ख) स्तम्भ संख्या–15 क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में उप–निरीक्षक मत्स्य को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः–निदेशक एवं मुख्य प्रारक्षी मत्स्य रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त उप–निरीक्षक मत्स्य को 8310/– रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 250/– रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध नियुक्ति अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 250/– रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ.आर. एस.आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (मत्स्य पालन विभाग)।

———————

उपाबन्ध–ख

उप–निरीक्षक, मत्स्य और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र /पुत्री श्री.....निवासी..... .....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश

की राज्यपाल के मध्य, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उप–निरीक्षक, मत्स्य के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार उप–निरीक्षक, मत्स्य के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310 / – रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह, उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा (जी0आइ0एस0) योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———

[Authoritative English Text of this department notification No. Fish-A(3)15/1999-II, dated 25-3-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th March, 2010

No. Fish-A(3)15/1999-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Sub-Inspector, Fisheries, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. Fish-A(3)15/99 dated 26.10.2009, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Fisheries Department, Sub-Inspector, Fisheries, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(First amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Fisheries Department, Sub-Inspector, Fisheries, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009:—

(a) for the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Pay scales for regular incumbents
Pay Band 5910-20200
Grade Pay 2400"

(ii) Emoluments for contract employees Rs. 8310/-
(As per details given in col. 15-A)

(b) For the existing provisions against Col.No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Sub-Inspector, Fisheries in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director-cum-Warden of Fisheries, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Sub-Inspector, Fisheries on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 8310/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs 250/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8310/- per month(which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 250/- (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up-to one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary(Fisheries).

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Sub-Inspector, Fisheries _____& the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department. This agreement is made on this----------day of ----------in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/ D/o.....Shri.....R/o..... .....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries,Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND

PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a .. Sub-Inspector, Fisheries on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Sub-Inspector, Fisheries for a period of 1 year commencing on day of.....and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..... And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 8310/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year.No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual. appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .....

.....

.....

(Name and Full Address)

In the presence of witness

(Signature of the First party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 मार्च, 2011

संख्याः आई.पी.एच.ए–ए(3)1 / 2010.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आई.पी.एच.–ए–सी–5(9)–2 / 95 तारीख 30–5–2006 द्वारा अधिसूचित सिंचांई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश पम्प ऑपरेटर वर्ग–III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश पम्प ऑपरेटर वर्ग–III, (अरापत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध–"क" का संशोधन.––**सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश पम्प ऑपरेटर वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध–"क" में,––

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः 5910–20200 k +1900 स (ग्रेड पे)।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाः

स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

''पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा कर्मचारी स्तंभ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और वह उक्त स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।"

(ग) स्तम्भ 15–क के सामने विधमान उपवन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––"इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धना ें और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः––

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में पम्प ऑपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि के वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया तथा केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः––
अधीक्षण अभियन्ता (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) सरकार से संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरने हेतु अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् रक्त पदों के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और विहित अर्हता वाले तथा इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तो को पूर्ण करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त पम्प ऑपरेटर को 7810 / –l की समेकित नियत संविदात्मक रकम जो पे बैंड के न्यूनतम +गेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तार किया जाता है, तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240 / – 1 की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम+ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के संबधित वृत का अधीक्षण अभियन्ता, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः जैसी सम्बद्व भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.–– (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810 / –चकी नियत संविदात्मक रकम (जो पे बेंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240 / –o(पद के पे बेंड के न्यूनतम +ग्रेड पे का तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाए, जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थि प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे, एफ0आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंग।"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

————————

उपाबन्ध– "ख"

पम्प ऑपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... ..... निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"प्रथम पक्षकार"** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सिंचांई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"द्वितीय पक्षकार"** कहा गया है) क` माध्यम से आज तारीख..... .... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पम्प ऑपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः––

1. यह कि प्रथम पक्षकार पम्प ऑपरेटर के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि

प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचारण वर्ष, के दौरान सन्तोषजनक रहा है तथा केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810 / – व प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त पम्प ऑपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त पम्प ऑपरेटर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त पम्प ऑपरेटर कर्त्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो प्रशासनिक आधार पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण का पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन एमास और वर्ष तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
नाम व पूरा पता (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English text of this department notification No. IPH-A-A*(3)1/2010 *dated* 16*th March,* 2011 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 16*th March,* 2011

No. IPH-A-A(3)1/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health, Pump Operator Class-III(Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006 , notified vide this Deptt. notification number IPH-A-C-5(9)-2/95 dated 30.5.2006 namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Irrigation & Public Health, Pump Operator Class-III(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—(1) In **ANNEXURE "A"** to the Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health, Pump Operator Class-III(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006.

(a) For the existing provision against Col. No. 4, the following shall be substituted namely:—

(i.) Scale of pay for regular incumbents:
Rs.5910-20200+Rs.1900 (Grade Pay).
(ii) Emoluments for Contract employees:
As per details given in Col.15- A

(b) For the existing provision against Col. No. 10, the following shall be substituted namely:—

(i) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(c) For the existing provision against Col. 15-A, the following shall be substituted, namely:—

15–A Selection for appointment to the post by contract appointment.—(Selection for appointment to the post by contract appointment). Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(1) CONCEPT:—(a) Under this policy the Pump Operator in Department of Irrigation & Public Health H.P. will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB:—The Superintending Engineer(Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading news paper and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Pump Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs.7810/-per month (which shall be equal to minimum of the Pay band + Grade pay). An amount of Rs. 240/- (3% of the minimum of Pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Superintending Engineer of the concerned Circle of IPH department will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e.H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band +

grade pay).The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.240/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only Maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

By order,
Sd/-
Princ*ipal Secretary (IPH).*

ANNUEXURE-"B".

This agreement is made on this …….....……day of ……in the year…….....……Between …….....……Shri /Smt…….....……..S/O/D/O Shri …….....….R/O…….……

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARITY), AND The Governor of Himachal Pradesh through (Superintending Engineer of concerned Circle of IPH Department) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Pump Operator on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Pump Operator for a period of one year commencing on day of …….and ending on the day of…….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…….and information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.7810/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Pump Operator will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Pump Operator . He/She will not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Pump Operator will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. _____

   _____

(Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

_____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

_____

(Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

_____

(Name and Full Address)

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, दिनांक 26 मार्च, 2011

संख्याः पी0सी0एच0–एच0ए0(1) 7 / 2008–45164.–हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2011 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.–एच.ए.(1) 7 / 2008 तारीख 2 फरवरी, 2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 3 फरवरी, 2011 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक–4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1) 3 / 98, तारीख 10 अक्तूबर, 2002 द्वारा अधिसूचित और 16 नवम्बर, 2002 को राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम.–1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) संशोधन नियम, 2011 है।

2. नियम 10 का संशोधन.–2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है), के नियम 10 के उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(2) अधिनियम की धारा 99 की उप–धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, सचिव या पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत का रोकड़िया (कैशियर) होगा, जो ग्राम पंचायत के लेखों से या में धन / संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम होगाः

परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किए जाने वाले संदाय केवल क्रास–चैक द्वारा ही किए जाएंगे।''।

3. नियम 31 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

''**31. पंचायतो द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखा प्रणाली और प्ररूप.**—ग्राम पंचायत का, यथास्थिति, सचिव या पंचायत सहायक, या पंचायत समिति या जिला परिषद् का सचिव, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विहित किए गए और समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्ररूपों (फार्मेट) और संहिताओं (कोडज) के अनुसार सभी अभिलेखों, रजिस्टरों, प्ररूपों और लेखों को बनाएगा ।''।

4. परिशिष्ट घ का संशोधन.—4. उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट घ में क्रम संख्या 1 और 2 के स्थान पर नम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''1. मूल संकर्म	(क)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 5.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता
	(ग)	ग्राम पंचायत द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता
	(घ)	ग्राम पंचायत द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ)	पंचायत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च)	पंचायत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता
	(छ)	पंचायत समिति द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
	(ज)	जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ)	जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता
2.मरम्मत / रखरखाव	(क)	ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख)	ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ से अधिक और 1.50 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता

	(ग)	ग्राम पंचायत द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता
	(घ)	ग्राम पंचायत द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ)	पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च)	पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता
	(छ)	पंचायत समिति द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
	(ज)	जिला परिषद् द्वारा 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ)	जिला परिषद् द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म।	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (पंचायती राज)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA(1)7/2008-45164-268, dated 26th March, 2011 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 26th March, 2011

No. PCH-HA(1)7/2008.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2011, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 3rd February, 2011 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby vide notification No.PCH-HA(1) 7/2008, dated 2nd February, 2011 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ;

And whereas no objection or suggestion has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased

to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, notified vide this Department notification number PCH-HA (1) 3/98 dated 10th October, 2002 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 16th November, 2002, namely:-

1. Short title.— 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Amendment Rules, 2011.

2. Amendment of rule 10.—In rule 10 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 (hereinafter called the "said rules"), for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of section 99 of the Act, the Secretary or Panchayat Sahayak shall be the cashier of the Gram Panchayat, who shall be competent to withdraw or deposit the money/payments from or in the accounts of the Gram Panchayat:

Provided that the payments to be made to the supplier for purchase of material shall be made by crossed cheques only.".

3. Amendment of rule 31.— 3. For rule 31 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"31. Registers, Records, Accounting system and forms to be maintained by the Panchayats: The Secretary or Panchayat Sahayak of the Gram Panchayat or Secretary of Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, shall maintain all the records, registers, forms and accounts as per formats and codes prescribed by the Comptroller and Auditor General of India and notified by the State Government from time to time.

4. Amendment of Appendix-D.—In Appendix-D appended to the said rules for serials number 1 and 2 the following shall be substituted, namely :-

"1. Original Works	(a)	work costing upto ₹1.50 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Takniki Sahayak
	(b)	work costing more than ₹1.50 lac and upto ₹5.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Junior Engineer
	(c)	work costing more than ₹5.00 lac and upto 10.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Assistant Engineer
	(d)	work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Executive Engineer
	(e)	work costing upto ₹5.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Junior Engineer
	(f)	work costing more than ₹5.00 lac and upto 10.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Assistant Engineer

	(g)	work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Executive Engineer
	(h)	work costing upto ₹10.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Assistant Engineer
	(i)	work costing more than ₹10.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Executive Engineer
2. Repair/ Maintenance	(a)	work costing upto ₹50,000 to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Takniki Sahayak
	(b)	work costing more than ₹50,000 and upto 1.50 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Junior Engineer
	(c)	work costing more than ₹1.50 lac and upto ₹3.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Assistant Engineer
	(d)	work costing more than ₹ 3.00 lac to be executed by Gram Panchayat	Gram Panchayat	Executive Engineer
	(e)	work costing upto ₹1.50 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Junior Engineer
	(f)	work costing more than ₹1.50 lac and upto 3.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Assistant Engineer
	(g)	work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Panchayat Samiti	Panchayat Samiti	Executive Engineer
	(h)	work costing upto ₹3.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Assistant Engineer
	(i)	work costing more than ₹3.00 lac to be executed by Zila Parishad	Zila Parishad	Executive Engineer.".

By order,
Sd/-
Secretary (Panchayati Raj).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 26 मार्च 2011

संख्या पी0सी0एच0–एच0ए0 (1)11 / 2010–45308.–हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2010 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या पी.सी.एच.–एच.ए.(1)

11 / 2010 तारीख 10 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 14 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक–4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (3) 25 / 2007, तारीख 4 सितम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और 6 सितम्बर, 2008 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातीं हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 है।

2. **नियम 3 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है), के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3. पदों की संख्या और उनके वेतनमान.–(1) ऐसी ग्राम पंचायत, जहॉ पहले से ही एक पंचायत सचिव नियुक्त है, को अपवर्जित करते हुए (छोड़कर) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का एक पद होगा :

परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहले से ही पंचायत सचिव नियुक्त किया गया है में भी बढ़े हुए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) आरक्षण रोस्टर, जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के मामले में लागू होता है, को पंचायत सहायकों के काडर में व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों को आरक्षण प्रदान करने हेतु पंचायत समिति स्तर पर लागू किया जाएगा।

(3) पंचायत सहायक सम्बद्ध पंचायत समिति के कर्मचारी होंगे, और उनकी सेवाएं, पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर, एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में अंतरणीय होंगी तथा पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, ऐसे स्थानांतरण आदेश को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(4) पंचायत सहायक को, ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं। पंचायत सहायकों को मासिक पारिश्रमिक, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सहायता अनुदान में से, सम्बद्ध पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, संवितरित किया जाएगा :

परन्तु पंचायत सहायक का मासिक पारिश्रमिक, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान से उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवितरित किया जाएगा।"।

3. **नियम 6 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 6 में,–

(क) उप नियम (1) में,–

(i) शब्दों तथा चिन्ह "आवेदन आमंत्रित करेगी।" के स्थान पर शब्द तथा चिन्ह "या किसी अन्य रीति से आवेदन आमंत्रित करेगी। इसके अतिरिक्त, समुचित नियोजनालय के माध्यम से भी रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी।" रखे जाएंगे; और

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या, और नियम 3 के उप–नियम (2) में वर्णित रोस्टर के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के बारे में ब्योरे, आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए दी गई सूचना में, दिए जाएंगे।";

(ख) उप नियम (5) में,–

(i) भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) शैक्षणिक अहर्ताएं

(i) दस जमा दो(10+2) में अंको की प्रतिशतता को 2 द्वारा विभाजित करके।	: अधिकतम 50 अंको तक
(ii) बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0 कॉम, सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, में अंको की प्रतिशतता को 6.66 द्वारा विभाजित करके।	: अधिकतम 15 अंको तक
(iii) अभ्यर्थी जिसके पास वाणिज्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, में स्नात्तकोत्तर डिग्री हो, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, एम0 कॉम, किसी भी विषय में बी0ई0 / बी0टैक हो, के मामले में अंक।	: 5 अंक";

(ii) भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) अनुभव (किसी पंचायती राज संस्था सरकारी कार्यालय / अर्धसरकारी उपक्रम / संस्था / अभिकरण (ऐजेन्सी) में लिपिकीय हैसियत से सुसंगत कार्य करने के प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए, एक अंक प्रदान किया जाएगा)।	: अधिकतम 5 अंको तक

(iii) भाग (ङ), (च), (छ) और (ज) का लोप किया जाएगा; और

(iv) भाग (झ) को भाग (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित भाग (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ङ) (i) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम छः मास का कोर्स किया हो।	: 3 अंक
(ii) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम एक वर्ष का कोर्स किया हो।	: 5 अंक।" और

(ग) उप नियम (6) में ''कार्यकारी अधिकारी'' शब्दों के प्श्चात् ''नियम 2 के उप–नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन'' शब्द, अंक, चिन्ह और कोष्ठक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (पंचायती राज)।

———

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)11/2010-45308-410, dated 26th March, 2011 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 26th March , 2011

NO. PCH-HA(1)11/2010.—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011, were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 14th March, 2011 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby vide notification No.PCH-

HA(1)11/2010, dated 10th March, 2011 as required under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ;

And whereas no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Rules, 2008, notified vide notification number PCH-HA (3) 25/2007 dated 4th September, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 6th September, 2008, namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011.

2. Amendment of rule. 3.—For rule 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the following shall be substituted, namely : -

"3. ***Number of posts and their scales of pay.-*** (1) There shall be one post of Panchayat Sahayak in every Gram Panchayat excluding such Gram Panchayat where there is already appointed a Panchayat Secretary:

Provided that the Panchayat Sahayak may be appointed in such Gram Panchayat also where there is already appointed a Panchayat Secretary, in view of the increased workload.

(2) The reservation roster, as is applicable in the case of direct recruitment of the employees of the State Government, shall be applied at the Panchayat Samiti level for providing reservation to various categories of persons in the cadre of Panchayat Sahayaks.

(3) The Panchayat Sahayaks shall be the employees of the Panchayat Samiti concerned and their services shall be transferable, from one Gram Panchayat to another, within the area of the Panchayat Samiti and the Executive Officer Panchayat Samiti shall be the competent authority to issue such transfer orders.

(4) The Panchayat Sahayak shall be paid remuneration at such rates as may be notified by the State Government from time to time. The monthly remuneration shall be disbursed to the Panchayat Sahayaks through the Executive Officer of the Panchayat Samiti concerned out of the Grant-in-Aid provided by the State Government for this purpose:

Provided that the monthly remuneration to the Panchayat Sahayak will be disbursed only after obtaining certificate of attendance from the Pradhan or Up-Pradhan, as the case may be, of the concerned Gram Panchayat.".

3. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) after the words and sign "within the Panchayat Samiti area.", the words and signs "or by any other mode. In addition, the vacancies shall also be notified through the appropriate Employment Exchange." shall be inserted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the details regarding total number of vacancies to be filled and number of vacancies reserved for various categories of persons as per roster mentioned in sub-rule(2) of rule 3 shall be given in the notice for inviting applications.";

(b) in sub-rule(5),-

(i) for Part (A), the following shall be substituted, namely:-

"(A) Educational Qualifications

(i) Percentage of marks in Ten plus Two (10+2) divided by 2.	:	to the maximum of 50 marks
(ii) Percentage of marks in BBA, BCA, BA, BSc (Non-medical), B-Com, Diploma in Civil Engineering divided by 6.66.	:	to the maximum of 15 marks
(iii) Marks in case of candidate having Master degree in Commerce, Science, Economics, Mathematics, MCA, MBA, M-Com, BE/B-Tech. in any subject.		5 marks";

(ii) for Part (B), the following shall be substituted, namely:—

"(B) Experience : (One mark shall be awarded for every one year of experience in relevant nature of duties in any Panchayati Raj Institution/Government Office/ Semi-Government Institution/ Government undertaking in a clerical capacity).	to the maximum of 5 marks";

(iii) Parts (E), (F), (G) and (H) shall be deleted; and

(iv) Part (I) shall be renumbered as Part (E) and in Part (E) so enumbered, the following shall besubstituted, namely:-—

"(D) (i) in case candidate has done minimum six months diploma in computer.	:	3 Marks
(ii) in case candidate has done minimum one year diploma in computer.	:	5 Marks," and

(c) in sub-rule (6) for the words "The Executive Officer", the words, brackets, igures and sign "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 3, the Executive Officer" shall be substituted.

By order,
Sd/-
Secretary (Panchayati Raj).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित